गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ,बिलासपुर (छ.ग.)

छात्र परिषद निर्वाचन - 2016

<u>प्रत्याशियों हेतु निर्देश</u>

१. छात्र परिषद के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता के समस्त प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा.

२. किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उलंघन करने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जाकर समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

३. छात्र परिषद विनियम २०११ की कंडिका ११ में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के सामूहिक प्रदर्शन, जुलूस, सभा , भाषण तथा पोस्टर, पर्चे आदि का लगाना/वितरित करना पूर्णत प्रतिबंधित किया जाता है.

४. प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि किसी भी तरह के प्रचार सामग्री, पर्चे , आदि परिसर के अंदर वितरित नहीं करेंगे.

५. यदि प्रत्याशी द्वारा स्वयं या उनके समर्थन में किसी अन्य के द्वारा, प्रत्याशी के पक्ष में मतदान हेतु किसी भी प्रकार का प्रलोभन देते हैं या देते पाए जाते हैं तो उन पर चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी.

६. चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि प्रत्याशी द्वारा स्वयं या उनके समर्थन में किसी अन्य के द्वारा, किसि भी प्रकार की हिंसा , दबाव, या असंसदीय भ्स्षा का प्रयोग किये जाते हुए पाए जाते हैं या इस तरह की कोई शिकायत मिलने पर तो उस पर चुनाव आचार संहिता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी.

७. सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारीयों, के द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे.

८. यदि प्रत्याशी को चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत है तो मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. जिस पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

९. मतगणना के समय मतगणना कक्ष में मात्र प्रत्याशी ही उपस्थित रह सकता है. इस हेतु प्रत्याशी को मुख्य चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इसके लिए उन्हें दिनांक 01-12-2016 समय 3 - 5 सायं तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है. प्रपत्र मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहेगा.

<u>मतदाताओ के लिए निर्देश</u>

१. मतदान स्थल पर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन या रखना वर्जित है . ऐसा करने वालो के ऊपर पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

२. मतदाता अपने अपने संकाय के अधिष्ठाता (Dean) द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मतदान करेंगे.

३. मतदाता सूचि में अंकित मतदाताओ को ही मत देने का अधिकार होगा.

४. मतदान हेतु आने वाले सभी मतदाता पंक्तिबध होकर निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्वक मतदान करेंगे

५. मतपत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता, मतदाता सूची में हस्ताक्षर करेंगे.

६. मतदाता अपना मत मतदान हेतु निर्धारित पेटी में ही डालेंगे.

७. मतपत्र को मतदान पेटी में डालने के पशात ही मतदाता को मतदान स्थल छोड़ने की अनुमति होगी.

८. जो छात्र चुनाव में प्रत्याशी की हैसियत से भाग ले रहे हैं वे किसी भी प्रकार से मतदान स्थल पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे एवं पूर्णतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित अनुशासन में रहेंगे. अन्यथा छात्र परिषद २०११ विनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगे.

९. निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओ को मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी .

१०. मतदान हेतु निर्धारित तिथि Friday दिनांक **02-11-2016** एवं समय **0800-1300** बजे तक रहेगा.

११. मतदान हेतु मतदान अधिकारी क्रमांक एक द्वारा मतदाता की पहचान को सुनिश्चित किया जायेगा. इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, पुस्तकालय कार्ड , या सम्बंधित विभाग प्रमुख द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र मान्य होगा. इसके अभाव में मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी

१२. मतदाता छात्र की पहचान पर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जिसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी.

१३. उपर्युक्त के अतिरिक्त वे सभी प्रावधान नियम दिशानिर्देश भी प्रभावशील होंगे जिनका वर्णन छात्र संघ विनियम २०११ की विभिन्न कंडिकाओ में किया गया है. कृपया उनका पालन किया जाये.

१४. निम्न स्थितियों में कोई मतपत्र अवैध घोषित किया जा सकेगा :

- जिस संकाय के प्रतिनिधि के लिए मतपत्र जारी किया गया है उस संकाय के निर्धारित प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक की संख्या में मत अंकित करने पर . उदाहरण के लिए कला संकाय में यदि एक प्रतिनिधि चुना जाना है तो यदि मतपत्र पर दो या अधिक प्रतिनिधियों के नाम के सामने √ अंकित कर दिया गया है तो वह मतपत्र अवैध हो जायेगा.
- मतपत्र में निर्धारित बॉक्स के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया √ का निशान ही मान्य होगा. अन्य किसी प्रकार का निशान अंकित करने पर या दो बॉक्स के बीच में अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निशान मतपत्र को अवैध कर देगा.
- मतदान की गोपनीयता बनाये रखना अनियार्य है. मतपत्र को किसी को दिखाना या अन्य किसी प्रकार से उसकी गोपनीयता भंग करना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.
- मतपत्र पर किसी भी प्रकार का कोई नारा, शब्द , या पहचान चिन्ह लिखना/ लगाना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.
- मतपत्र को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त करना या उसे फाड़ने की कोशिश करने पर उस मतपत्र को अवैध घोषित किया जायेगा एवं ऐसा करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
- मतपत्र किसी भी स्थिति में दुबारा जारी नहीं किया जायेगा.
- 'नोटा' –'उपरोक्त में से कोई नहीं ' विकल्प भी मतपत्रों पर अंकित है। इससे संबंधित निर्देश पृथक से संलग्न है। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी

<u>निर्वाचन अधिकारीयों हेतु महत्वपूर्ण बिंदु</u>

१. मतदान प्रक्रिया का संचालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अन्तरगत सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न किया जायेगा.

२. मतदान स्थल पर उस संकाय के, जहाँ मतदान हो रहा है, समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी सम्बंधित संकायाध्यक्ष के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे तथा समय पर उपस्थित होंगे एवं कार्य सम्पन करने के बाद ही मतदान स्थल से जायेंगे.

३. मतदान स्थल पर मतदाताओ के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा.

४. मतदान प्रक्रिया निम्नानुसार संपन्न की जायेगी :

- मतदान अधिकारी क्रमांक एक द्वारा मतदाता की पहचान को सुनिश्चित किया जायेगा. इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, पुस्तकालयकार्ड , या सम्बंधित विभाग प्रमुख द्वारा जरी किया गया पहचान पत्र मान्य होगा.
- मतदाता ,मतदान अधिकारी क्रमांक एक के पास उपलब्ध मतदाता सूची में सरल क्रमांक के सामने अपने नाम को देख कर हस्ताक्षर करेंगे.
- मतदान अधिकारी क्रमांक दो द्वारा अपने हस्ताक्षर करके मतदाता को मतपत्र दिया जायेगा.
- गोपनीय मतदान द्वारा मतदाता द्वारा अपना मत दिया जायेगा.

५. मतदान के लिए निर्धारित समय पूरा होने तक जो मतदाता मतदान स्थल पर आ जायेंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची वितरित की जायेगी एवं उन्हें ही मतदान की पात्रता होगी.

६. निम्न स्थितियों में कोई मतपत्र अवैध घोषित किया जा सकेगा :

- जिस संकाय के प्रतिनिधि के लिए मतपत्र जारी किया गया है उस संकाय के निर्धारित प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक की संख्या में मत अंकित करने पर . उदाहरण के लिए कला संकाय में यदि एक प्रतिनिधि चुना जाना है तो यदि मतपत्र पर दो या अधिक प्रतिनिधियों के नाम के सामने **√** अंकित कर दिया गया है तो वह मतपत्र अवैध हो जायेगा.
- मतपत्र में निर्धारित बॉक्स के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया **√** का निशान ही मान्य होगा. अन्य किसी प्रकार का निशान अंकित करने पर या दो बॉक्स के बीच में अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निशान मतपत्र को अवैध कर देगा.
- मतदान की गोपनीयता बनाये रखना अनियार्य है. मतपत्र को किसी को दिखाना या अन्य किसी प्रकार से उसकी गोपनीयता भंग करना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.
- मतपत्र पर किसी भी प्रकार का कोई नारा, शब्द , या पहचान चिन्ह लिखना/ लगाना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.
- मतपत्र को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त करना या उसे फाड़ने की कोशिश करने पर उस मतपत्र को अवैध घोषित किया जायेगा एवं ऐसा करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
- मतपत्र किसी भी स्थिति में दुबारा जारी नहीं किया जायेगा.
- 'नोटा' –'उपरोक्त में से कोई नहीं ' विकल्प भी मतपत्रों पर अंकित है। इससे संबंधित निर्देश पृथक से संलग्न है। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

७. मतदान के बाद सभी सम्बंधित दस्तावेज संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ सील कर chief Election Officer के कार्यालय में जमा की जायेगी.

८. उपर्युक्त के अतिरिक्त वे सभी प्रावधान नियम दिशानिर्देश भी प्रभावशील होंगे जिनका वर्णन छात्र संघ विनियम २०११ की विभिन्न कंडिकाओ में किया गया है कृपया उनका पालन किया जाये.